

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 25/2024

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी खडाली

बनाम

गैर सायल  
हरदानराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति  
जाट निवासी लोलों की ढाणी,  
खडाली  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 18.10.2024

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का खडाली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लोलों की ढाणी, खडाली की राजकीय भूमि ख.न. 171/8 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.0809 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाजरा बोकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 20.09.2024 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को सुनवाई अवसर दिया जाकर पत्रावली 18.10.2024 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का दोबारा मौका देने के बावजूद अनुपस्थित। अतः खुले न्यायालय में तीन बार आवाज लगाने के तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित होने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बारानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.04 का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत काश्त की गई फसल को कुर्क कर सरकारी तहसील में लेने तथा नियमानुसार निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली, कुर्की की निलामी हेतु हल्का पटवारी व भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथराम)

तहसीलदार गुड़ामालानी  
तहसीलदार गुड़ामालानी  
जिला-बाड़मेर

